न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

दर्ज दिनांक 12.06.2023

राजस्व प्रकरण संख्या :– 52/2023

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2023/192

अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. डाउराम पुत्र मोहन बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र जेता खटीक निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लादु पुत्र जेता खटीक निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

उपस्थित

1. राजु नायक – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 एकपक्षीय

:: निर्णय ::

दिनांकः– 6-1-2026

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 27.01.2025 के द्वारा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम भींटा पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकारी अधिकार एंव कब्जे काश्त की आराजी संख्या 12 रकबा 0.72 है0, आराजी संख्या 14 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 15 रकबा 0.42 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.28 है0 भूमि में वादी का 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिकी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।
2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1400 दिनांक 03.11.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिकी की पालना स्वरूप

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	डाउराम पिता मोहन बलाई सा.देह खातेदार, रहन बीओबी रायपुर	ग्राम भींटा (खाता संख्या 318)	12/2 15/1	0.32 0.10
		योग	2	0.42
2	1. गोपाल पुत्र जेता 1/2 खटीक सा.देह 2. लादु पुत्र जेता 1/2 खटीक सा.देह खातेदार रहन बीओबी शाखा रायपुर	ग्राम भींटा (खाता संख्या 318)	12/1 14/1 15/2	0.40 0.12 0.32
		योग	3	0.84
3	सामलाती बदस्तुर रास्ता हेतु	ग्राम भींटा (खाता संख्या 318)	14/2	0.02
		योग	1	0.02

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 6/1/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)